

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/2015/एस डी आर

दिनांक: 16 मार्च, 2015

सेवा में

सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दलों के
अध्यक्ष/महासचिव/चेयरपर्सन/संयोजक।

विषय: मतपत्रों का मुद्रण-अन्य विवरणों के साथ-साथ मत पत्र पर अभ्यर्थी के फोटोग्राफ भी मुद्रित करना।

महोदया/महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 01 मई, 2015 के उपरान्त आयोजित होने वाले निर्वाचनों के लिए, संसद एवं राज्य विधान मण्डल के सभी निर्वाचनों में मत पत्रों पर, विद्यमान विवरणों के अतिरिक्त, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ भी मुद्रित किए जाएं। फोटोग्राफ अभ्यर्थी के नाम के दाईं तरफ उसके नाम और उसके प्रतीक (जहां लागू हो) के बीच में मुद्रित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को संबोधित दिनांक 16-03-15 के पत्र द्वारा इस संबंध में जारी अनुदेशों की एक प्रति आपकी सूचना के लिए संलग्न है।

2. इस पर ध्यान दिया जाए कि मत पत्र पर अभ्यर्थी के फोटोग्राफ मुद्रित किए जाने के प्रयोजनार्थ अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नवीनतम फोटोग्राफ (स्टैम्प आकार 2 से.मी. चौड़ाई एवं 2.5 से.मी. ऊंचाई) अपने नामांकन के साथ और, किसी भी स्थिति में अधिक से अधिक, नामांकनों की संवीक्षा के लिए नियत अंतिम तारीख तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दें। फोटोग्राफ के लिए विशिष्टताएं उपरोक्त संदर्भित अनुदेशों में निर्धारित की गई हैं।

3. आपको सलाह दी जाती है कि आप इन अनुदेशों को दल के सभी निचले स्तरों की यूनिटों को संचारित कर दें ताकि दिनांक 01-05-2015 से आयोजित होने वाले निर्वाचनों में अनुपालन के लिए दल के अभ्यर्थियों की समुचित ब्रीफिंग की जा सके।

भवदीय,



(के. एफ. विल्फ्रेड)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/2015/एस डी आर

दिनांक: 16 मार्च, 2015

सेवा में

सभी राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

विषय : मतपत्रों का मुद्रण-अन्य विवरणों के साथ अभ्यर्थी के फोटो का मुद्रण भी किया जाना।

महोदया/महोदय,

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49ख के अंतर्गत ईवीएम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मतपत्र में वे सभी विवरण अंतर्विष्ट होंगे जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे। इसी तरह, नियम 22 और 30 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई है कि डाक मत पत्र और साधारण मत पत्र पर उसी प्रकार से विवरण होंगे जिस प्रकार से आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

2. ऊपर उल्लिखित नियम 22, 30 और 49ख के अनुसार, आयोग ने बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्र और डाक मत पत्र पर मुद्रित किए जाने वाले विवरण निर्दिष्ट किए हैं। वर्तमान में इस तरह विनिर्दिष्ट विवरण अभ्यर्थियों के लिए क्रम संख्याएं, अभ्यर्थियों के नाम और प्रत्येक अभ्यर्थी को आबंटित निर्वाचन प्रतीक और अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद 'इनमें से कोई नहीं' के लिए एक पैनल है। मौजूद निदेशों में, मुद्रित किए जाने वाले विवरणों के अलावा अन्य पहलुओं जैसे, मत पत्र का आकार, पैनलों का आकार, स्तम्भों की संख्या आदि रिटर्निंग अधिकारियों की हस्तपुस्तिका में दिए गए हैं।

3. आयोग ने यह नोट किया है कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें समान या एक से नाम वाले अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ते हैं। हालांकि, दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान होने की दशा में अभ्यर्थियों के नामों में उपयुक्त प्रत्यय जोड़े जाते हैं, फिर भी आयोग का यह विचार है कि मतदान के समय निर्वाचकों के मस्तिष्क से भ्रम दूर करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। इसी विषय पर एक रिट याचिका [2014 की रिट याचिका (सी) सं. 541-अशोक गहलोट बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य] भी माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, निर्वाचनों का संचालन, 1961 के नियम 22, नियम 30 और नियम 49ख के अंतर्गत अपने मौजूदा निदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए आयोग एतद्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि 1 मई, 2015 से बाद आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए

डाक मत पत्रों, साधारण मत पत्रों और ई वी एम की बैलेटिंग यूनिट पर प्रदर्शित किए जाने वाले मत पत्रों पर, मौजूदा निदेशों के अनुसार विवरणों के अतिरिक्त, अभ्यर्थी के फोटो अंतर्विष्ट होंगे। अभ्यर्थी के फोटो अभ्यर्थी के नाम वाले पैनल में मुद्रित किए जाएंगे और अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के बीच नाम के दाएं तरफ दिखाई देंगे। मत पत्र पर मुद्रित किए जाने वाले फोटो का आकार 2 सेमी×2.5 सेमी (2 सेमी चौड़ाई में और 2.5 सेमी ऊंचाई में) होगा। लोक सभा के निर्वाचन के लिए मत पत्र का एक नमूना संदर्भ के लिए संलग्न है।(अनुबंध-1)

5. मत पत्र पर अभ्यर्थी के फोटो के मुद्रण के लिए उपर्युक्त निदेश विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचनों और परिषदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचनों के संबंध में भी लागू होंगे। उक्त निर्वाचनों के संबंध में निदेश उक्त नियमों के नियम 70 द्वारा इन निर्वाचनों पर यथा-अनुप्रयोज्य किए गए नियम 30 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करके जारी किए गए हैं।

6. फोटो के लिए विनिर्देशन नीचे दिए गए हैं:

- (i) अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित है कि वे अपना हाल का फोटो (अधिसूचना की तारीख के पहले 3 महीनों की पूर्ववर्ती अवधि के दौरान लिया गया) प्रस्तुत करें।
- (ii) फोटो स्टैम्प साइज 2 सेमी×2.5 सेमी (दो सेमी चौड़ाई में और 2.5 सेमी ऊंचाई में) में कैमरे के सम्मुख सीधे पूर्ण मुखाकृति दृश्य, खुली आंखों वाले तटस्थ चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ सफेद/धूमिल सफेद पृष्ठभूमि में लिया हुआ होना चाहिए।
- (iii) फोटो सामान्य कपड़ों में होना चाहिए। वर्दी में फोटो की अनुमति नहीं है। टोपी/टोप से परहेज करना चाहिए। काले चश्मों से परहेज किया जाना चाहिए।

7. प्रत्येक निर्वाचन में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे अपने नाम-निर्देशन पत्रों के साथ उपर्युक्त अपेक्षाओं/विनिर्देशनों के अनुरूप अपने फोटो और किसी भी दशा में, नाम-निर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तिथि तक प्रस्तुत करें। फोटो पर अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट के हस्ताक्षर फोटो के उल्टी तरफ होना चाहिए। जब फोटो प्रस्तुत किया जाए तो फोटो प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थी/निर्वाचन एजेंट/प्रस्तावक से कहा जाएगा कि वे यह कथन करते हुए एक घोषणा दें कि प्रस्तुत किया जा रहा अभ्यर्थी (नाम और पते का उल्लेख करते हुए) का फोटो पूर्ववर्ती 3 महीनों की अवधि के दौरान लिया गया है। घोषणा के लिए एक मुद्रित फार्मेट, जो इस पत्र के साथ अनुबंधित (अनुबंध-2) है, इस प्रयोजन के लिए, आर ओ/ए आर ओ के पास रहेगा।

8. नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के समय यदि अभ्यर्थी का फोटो प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आरओ अभ्यर्थी को नाम-निर्देशन पत्र की संवीक्षा की तारीख तक फोटो जमा करने के लिए कहते हुए एक नोटिस देंगे। उस नोटिस में यह भी जोड़ा जाएगा कि यदि फोटो प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उनका फोटो मतपत्र पर मुद्रित नहीं किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उस पर भी अपना फोटो देने में विफल रहता है या फोटो देने से इंकार कर देता है तो उस अभ्यर्थी का फोटो मतपत्र पर मुद्रित नहीं

करवाया जाएगा। यह भी उल्लेख किया जाएगा कि अभ्यर्थी द्वारा फोटो का प्रस्तुत न किया जाना अभ्यर्थी के नाम-निर्देशन पत्र की अस्वीकृति के लिए आधार नहीं होगा।

9. रिटर्निंग अधिकारी नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के अगले दिन अभ्यर्थियों के फोटो सहित विधिमान्य तरीके से नाम-निर्देशित अभ्यर्थियों की एक सूची प्रदर्शित करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी संवीक्षा के समय अभ्यर्थियों को सूचित करेंगे कि मतपत्र पर मुद्रित किए जाने वाले फोटो अगले दिन (समय विनिर्दिष्ट किया जाए) उनके नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि फोटो या अन्य विवरणों में कोई त्रुटि है तो उसे इंगित करने के लिए अभ्यर्थी/अन्य व्यक्ति को एक अवसर प्रदान किया जाएगा ताकि रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे दूर किया जा सके।

10. ये निदेश राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और अन्य निर्वाचन प्राधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं। इन्हें मान्यताप्राप्त दलों की राज्य इकाईयों सहित, आपके राज्य में आधारित सभी राजनीतिक दलों के ध्यान में लाया जाए। इन निदेशों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए एक प्रेस रिलीज भी जारी की जाए।



















11. कृपया नोट करें कि जैसाकि ऊपर पैरा 4 में उल्लिखित है, ये निदेश 01-05-2015 से आयोजित किए जाने वाले निर्वाचनों के लिए लागू होंगे।

12. कृपया पावती दें।

भवदीय,



(के. एफ. विल्फ्रेड)
प्रधान सचिव

1.	అశోక్ కుమార్, కె. అశోక్ కుమార్, కె.		
2.	శాన్బాషా, ఎం. చాన్బాషా, ఎం. బాన్బాషా, ఎం.		
3.	శిన్న పిల్లప్ప, పి. చిన్నపిల్లప్ప, పి. బిన్నపిల్లప్ప, పి.		
4.	శిలలక్ష్మణం, లాక్ష్మణం. అ. శిలకుమార్, డాక్టర్. అ. శిలకుమార్, డాక్టర్. అ.		
5.	కవ్వి, ఎన్.ఎస్.ఎం. గౌడ, ఎన్.ఎస్.ఎం.		
6.	శుందరం, ఎస్. సుందరం, ఎస్.		
7.	మణి, బి.కె. మణి, బి.కె.		
8.	మునిరాజ్, కె. మునిరాజ్, కె.		
9.	అశోక్ కుమార్, ఎ. అశోక్ కుమార్, ఎ.		
16.	మేధావీలు నామాలలో పేరికావాలి పేరికావాలి పేరికావాలి		